न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
31/2024	05.08.2024	28.11.2025

केशन्ती पतनी भगवतलाल, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी——प्रार्थिया

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. किरोडी बाई पुत्री रंगलाल, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
3. गोविन्दसहाय पुत्र रंगलाल, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
4. नरसी पुत्र रंगलाल, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
5. रमेशी पत्नी कैलाश, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
6. कैलाश पुत्र रंगलाल, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
7. कोमल पुत्री कैलाश, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राज0 अधिनियम

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया एव अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 1595 रकबा 1.24 है0 ग्राम टोकसी मे स्थित है। जिस पर प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 काबिज रहकर काश्त कर रहे है। प्रार्थिया की भूमि के पास के रास्ते की भूमि ख0न0 1618 रास्ते की भूमि है। आस पास के कृषक भी आये दिन सीमाचिन्हो को लकर प्रार्थिया को परेशान करते रहते है। दिनांक 9.6.22 को राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति मे सीमाज्ञान करवाया गया । दिनांक 20.10.2022 को उक्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने बाबत तहसीलदार गंगापुर सिटी से निवेदन करने पर उन्होने कोर्ट से आदेश लाने के लिए कहा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 1595 रकबा 1.24 है0 ग्राम टोकसी की पत्थरगढी के आदेश फरमाये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.12.29 16:56:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 111, ग्राम टोकसी, फोटोकोपी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 9.6.2022, प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

वकील प्रार्थिया को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रार्थिया के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 111 ग्राम टोकसी के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की सहखातेदारी में दर्ज है। भूमि ख0न0 1595 रकबा 1.24 है0 ग्राम टोकसी प्रार्थिया एवं अन्य खातेदारान की सहखातेदारान की भूमि है। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 9.6.2022 मे प्रार्थिया की भूमि ख0न0 1595 रकबा 1.24 है0 ग्राम टोकसी का सीमाज्ञान नही किया गया है। अतः भूमि ख0न0 1595 ग्राम टोकसी सहखातेदारी की भूमि होने के बाबजूद एक ही खातेदार द्वारा पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने तथा भूमि ख0न0 1595 रकबा 1.24 है0 ग्राम टोकसी का सीमाज्ञान नही होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 एलआर एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी (स०मा०)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.12.29 16:36:26 IST
Reason: SelfAttested